

मुख्य अभियन्ता (भवन)
सार्वजनिक निर्माण विभाग
राजस्थान, जयपुर ।

विषय:-चतुर्थ एवं उनके समकक्ष श्रेणी के राजकीय आवासों में परिवर्तन/परिवर्द्धन बाबत ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निम्नांकित चतुर्थ श्रेणी के राजकीय आवास में परिवर्तन/परिवर्द्धन हेतु राशि रुपये 7.54 लाख (अक्षरे सात लाख चौबन हजार मात्र) के व्यय के लिये राज्यपाल महोदय की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्रम सं.	आवास संख्या	कार्य का विवरण	राशि (लाखों में)	कुल राशि (लाखों में)
1	नवल किशोर शर्मा एफ-7 गांधीनगर	1. Boundary wall	0.32	0.32
2	ईश्वर सिंह यादव एफ-113 गांधीनगर	1. Plaster 2. Flush door 3x6x3	0.12 0.11	0.23
3	बच्चु सिंह मीणा एफ-118 गांधीनगर	1. Section window 5x3x4 2. Shed work 3. PVC Tank 4. Toilet Renovation	0.20 0.38 0.05 0.20	0.83
4	सुमेर सिंह मीणा एफ-136 गांधीनगर	1. Raising of B/Wall 2. Shed work 3. Section window 2x3x4 4. Door 2x6x3 5. Fiber 6. Plaster	0.08 0.50 0.08 0.07 0.04 0.20	0.97
5	अनिल कुमार मेहता एफ-152 गांधीनगर	1. Kitchen Renovation 2. Section window 2x4x4	0.25 0.12	0.37
6	पुष्कर राज सबल एफ-402 गांधीनगर	1. Replace of door 6x4 2. Tin shed 3. Raising of C/Wall 4. Plaster	0.06 0.39 0.45 0.10	1.00
7	अनूप नालावत एफ-426 गांधीनगर	1. AC sheet shed 2. Replace of steel door 3. Misc work	0.60 0.09 0.08	0.76
8	दीपक जोशी एफ-474 गांधीनगर	1. AC shed	0.44	0.44
9	सुनीता कुमारी एफ-491 गांधीनगर	1. Renovation of Kitchen	0.40	0.40

10	राघवेन्द्र एफ-706 गांधीनगर	1. P&F Profile shed 2. Const. of C/Wall	0.39 0.22	0.61
11	दीपा कंवर 4/14 गांधीनगर	1. Raising of C/Wall 2. Renovation Kitchen	0.48 0.40	0.88
12	विनोद कुमार शर्मा 4/22 गांधीनगर	1. Maingate&Ramp 2. Renovation of Kitchen 3. Replacement of Window 4. Water Tank	0.16 0.30 0.19 0.08	0.73


यह व्यय बजट मद 2216-आवास (हाउसिंग) 05-साधारण पूल आवास, 800- अन्य व्यय (01) निर्माण [07] तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी व उनके समकक्ष अन्य आवासों के लिये, 16-लघु निर्माण कार्य (आयोजना भिन्न) में वित्तीय वर्ष 2016-17 में उपलब्ध प्रावधान में से वहन होगा।

कृपया यह सुनिश्चित करावें कि संबंधित आवास में स्वीकृत कार्यों पर ही राशि का व्यय किया जावे तथा कार्य पूर्ण करवाकर कम्प्लीशन प्रमाण पत्र भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।

इस विभाग के पत्र क्रमांक 19(1)सा.प्र.-4/2011 दिनांक 30.12.2011 के क्रम में लेख है कि समस्त संबंधित आवासियों से बजट उपयोगिता प्रमाण पत्र लिए जाने का निर्णय लिया गया है। अतः कार्य पूर्ण होने पर संबंधित आवासी से बजट का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया जावे।

समस्त वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा सुस्थापित सिद्धांतों की प्रत्येक स्तर पर पालना सुनिश्चित की जावे तथा आपके विभाग के परिपत्र क्रमांक (184) SE(B)/Circulars/C-144 दिनांक 13.07.2009 के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करवाया जावे।

भवदीय,


(इन्द्र सिंह राव)
संयुक्त शासन सचिव (क)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग।
3. अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग नगर वृत्त जयपुर।
4. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग नगर खण्ड-III, जयपुर।
5. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग विद्युत खण्ड-III, जयपुर।
6. संबंधित आवासी।
7. रक्षित पत्रावली।


(इन्द्र सिंह राव)
संयुक्त शासन सचिव (क)